

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं०. 14/2019- सीमा शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी, 2019

सा.का.नि. (अ) .-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सा.का.नि. संख्या 1064(अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं०. 82/2017-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 24 अगस्त, 2017 में, एतद्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका-2 में, क्रम संख्या 7 और इससे संबद्ध प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:---

क्र० सं०	क्षेत्र	अधिकारी का पदनाम	
(1)	(2)	(3)	(4)
“(7)	(i) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तालुका उरान और पनवेल में जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी कंटेनर फ्रेट स्टेशन और गोदाम हैं;	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-I), मुंबई, जोन- II.	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-I), मुंबई, जोन- II के नियंत्रणाधीन काम करने वाले सीमा शुल्क के अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उपायुक्त, या सहायक आयुक्त ।
	(ii) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण तालुका में करंजा टर्मिनल;	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-II), मुंबई, जोन-II	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा- II), मुंबई, जोन- II के नियंत्रणाधीन काम करने वाले सीमा शुल्क के अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उपायुक्त, या सहायक आयुक्त ।
	(iii) जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पालघर, ठाणे और	आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा -III), मुंबई, जोन-II.	आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा- III), मुंबई, जोन-II के नियंत्रणाधीन काम करने वाले सीमा शुल्क के अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या

<p>महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में निवारक कार्यों, अर्थात् तलाशी/जब्ती आदि को पूरा किए जाने हेतु;</p> <p>(iv) कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन ऑफ़ इंडिया, जो महाराष्ट्र राज्य में बेसलाइन का सामना कर रहा है, हेतु विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 के तहत सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को बढ़ाया गया है।</p>		उपायुक्त, या सहायक आयुक्त।
	आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा - V), मुम्बई, जोन-II.	आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा - V), मुम्बई, जोन-II के नियंत्रणाधीन काम करने वाले सीमा शुल्क के अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उपायुक्त, या सहायक आयुक्त।
	आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा - सामान्य), मुम्बई, जोन-II.	आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा - सामान्य), मुम्बई, जोन-II के नियंत्रणाधीन काम करने वाले सीमा शुल्क के अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उपायुक्त, या सहायक आयुक्त”।

2. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं०. 450/100/2017 - सीमा शुल्क-IV]

जुबेर रियाज़
(जुबेर रियाज़)
निदेशक (सीमा शुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना सं०. 82/2017-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 24 अगस्त, 2017 को सा.का.नि. संख्या 1064(अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संख्या सा.का.नि.1236(अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, अधिसूचना सं०.100/2018-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 द्वारा संशोधन किया गया था।